

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2019

विषय:- सम्भल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0-93) नया एन0एच0 509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दायी पटरी पर ग्राम अफजलपुर डरौली के खसरा सं0 683 पर मे0 नयारा एनर्जी लि0(पूर्व एस्सार ऑयल लि0) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.173248 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1596/11-सी/एफपी/यूपी/others/33049/2018, दिनांक: 07.02.2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णीत हुआ है कि सम्भल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0-93) नया एन0एच0 509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दायी पटरी पर ग्राम अफजलपुर डरौली के खसरा सं0 683 पर मे0 नयारा एनर्जी लि0(पूर्व एस्सार ऑयल लि0) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.173248 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन की अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अंतर्गत अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-पी-15(1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, सम्भल।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
- 5- श्री मनीष कुमार सिंह, डिविजनल मैनेजर, एस्सार आयल लि0, 2314, तृतीय तल टावर -ए दि कोरिएण्थम, ए-41, से0-62, नोएडा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(डा0 दीपक कोहली)  
उप सचिव।